

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर


क्रमांक एफ-03/स्था.-1/2024/.....

दिनांक /08/2024

आदेश

म.प्र. शासन पशुपालन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा के आदेश क्र. एफ-23-13/2013/पैतीसा, भोपाल दिनांक 26.12.2014 के अधीन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की है। विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. एफ-03/स्था।/2023/420-421, दिनांक 22.02.2023 के अनुसार डॉ. आर.के. जैन, प्राध्यापक, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु को अपनी अधिवाषिकी आयु 65 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें विश्वविद्यालय की सेवाओं से दिनांक 30.08.2024 को अपरान्ह (दिनांक 31.08.2024 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) सेवानिवृत्त किया जावेगा।

कुलपति जी के आदेशानुसार


कुलसचिव

पृष्ठा क्रमांक एफ-03/स्था.-1/2024/.....**2009**.....

दिनांक **28**/08/2024

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता संकाय, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
4. अधिष्ठाता पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु।
5. प्रभारी संपदा अधिकारी, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय, बेवसाइट, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
7. शाखा प्रभारी/ गोपनीय चरित्रावली/भविष्य निधि/पेंशन, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
8. डॉ. आ.के. जैन, प्राध्यापक, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु।
9. व्यक्तिगत नस्ती।


कुलसचिव

